सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 03 / 15 निर्णय दिनांकः– 8.02.2018

1. शंकरलाल पुत्र रामलाल
2. निहालचन्द
3. ओमप्रकाश
4. रामनिवास

(क्रम 2 से 4) पुत्रगण शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी गांव गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. भारमल पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी गौडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 2

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन(प्रथम) बीकानेर

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) के निर्णय व डिक्री दिनांक 07–07–2008 जिसके द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम गोडू वर्तमान तहसील कोलायत जो उक्त ग्राम सम्वत् 2012 से पूर्व जैसलमेर रियासत के 45 गावों में से एक गांव था जो जिलाबन्दी होने पर जिला बीकानेर में शामिल किया गया। जिसका जिला जैसलमेंर में कोई राजस्व रिकार्ड प्राप्त न होने पर नये सिरे से सम्वत् 2012 में सरकारी बन्दोबस्त का कार्य इन 45 गावों का किया गया जिसमें ग्राम गौडू भी था। जिसमें वादी शंकरलाल, पतराम व प्रतिवादी भारमल तीन भाई थे जिनके पिता रामलाल की सम्वत् 2012 में मृत्यु हो जाने पर ग्राम गौडू की सरकारी बन्दोबस्त खानदान कर्ता व बड़े भाई भारमल पुत्र रामलाल के नाम से ग्राम गौडू के खसरा नम्बर 220 रकबा 57.10 बीघा, खसरा नम्बर 221 तादादी 28.15 बीघा, खसरा नम्बर 222 रकबा 23.10 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 11.10 बीघा, खसरा नम्बर 493 रकबा 57.10 बीघा, खसरा नम्बर 494 रकबा 34.10 बीघा, खसरा नम्बर 495 रकबा 11.10 बीघा, खसरा नम्बर 406 रकबा 34.10 बीघा कुल 258.15 बीघा भूमि गैर खातेदारी में बतौर कारश्तकार दर्ज की गई जो लगातार कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उक्त ग्रामों का पुख्ता बन्दोबस्त वर्ष 2019 में शुरू किया जाकर वर्ष 2024 में खत्म किया गया। तत्समय भारमल के नाम से 179.00 बीघा भूमि ही दर्ज की गई यानि दो हिस्सों में भूमि लगभग दर्ज कर दी गई व शेष भूमि 79.15 बीघा भूमि रकबाराज दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त भूमि फैमिली सेटलमेंट से वादी के हिस्से में आई भूमि थी व उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त अलग से चला आ रहा है।

उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा आराजीराज दर्ज की गई वो उपनिवेशन क्षेत्र में आने पर वर्तमान में चक 17 जीएमआर तहसील कोलायत के मुरब्बा नम्बर 20/44 के किला नम्बर 12 ता 14 में 3 बीघा, 16 ता 19 में 4 बीघा, 22 ता 25 में 4 बीघा कुल 11 बीघा, मुरब्बा नम्बर 20/52 के किला नम्बर 17 ता 25 में 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 20/37 के किला नम्बर 25 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 20/45 के किला नम्बर 2 ता 9 में 8 बीघा, किला नम्बर 11 ता 25 में 15 बीघा, कुल 23 बीघा, मुरब्बा

नम्बर 20/53 के किला नम्बर 1 ता 3 में 3 बीघा, 8 ता 13 में 6 बीघा, 18 ता 20 में 3 बीघा कुल 12 बीघा, मुरब्बा नम्बर 20/46 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 15 बीघा, मुरब्बा नम्बर 20/38 के किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 में 10 बीघा कुल 81 बीघा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वर्ष 1985 से रिकार्ड में कब्जा काश्त व पानी की पर्ची बनी हुई है व वादगत् भूमि पर सपरिवार सम्वत् 2012 से ही कब्जा काश्त में है। परन्तु पुख्ता आवंटन सेटलमेंट के बाद रिकार्ड में नाम दर्ज होने से रह गया।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व नियमानुसार तनकीयात कायम की गई। उक्त तनकीयात को साबित करने का भार अपीलांट/वादी पर था। उक्त तनकीयात् के संबंध में अपीलांट/वादी द्वारा नियमानुसार राजस्व दस्तावेज यथा मिसल बन्दोबस्त, मौखिक शहादत, नकल गिरदावरी, पड़ौसियों के बयान, पानी की पर्ची आदि प्रस्तुत किये गये थे। जिससे साबित था कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा गलत व्याख्या करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

वादगत् भूमि बड़े भाई के नाम खानदानकर्ता के अनुसार अकेले दर्ज की गई व मौखिक साक्ष्य में पिता रामलाल की मृत्यु सवंत् 2012 में होना बताया गया है। पारिवारिक बंटवारें के अनुसार उक्त भूमि अपीलांट के हिस्से में आई थी। जबकि कुल 258 बीघा भूमि जो पुख्ता सेटलमेंट के बाद 79 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज की गई। शेष आराजीराज भूमि 79 बीघा भूमि पर अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। उक्त तथ्य रिकार्ड से भी साबित है कि पुश्तैनी भूमि 258 बीघा थी व 179 बीघा खातदानकर्ता के नाम सवंत् 2012 से 2018 की गिरदावरी में दर्ज होने व 1/3 हिस्सा जो वादी के हिस्से में आई अर्थात 79 बीघा भूमि कम दर्ज की गई जिस पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादगत् भूमि वर्ष 1985 से रिकार्डेड गैर खातेदार दर्ज है जबकि राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार वर्ष 1990 से पूर्व की भूमि पर काबिज लोगों का कब्जा नियमन के आदेश जारी किये हुए है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया जबकि इस बिन्दु पर ही वाद स्वीकार योग्य था। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह फाईडिंग दी है कि समरी में दर्ज भूमि कच्चे बीधों में थी व पुख्ता सेटलमेंट में पक्के बीघा में दर्ज की गई। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि 258 कच्चे बीघा के पक्के बीघ मानते है तो 155 बीघा के बराबर ही बनते है ना कि 179 बीघा बनते है। उक्त तथ्य पर भी अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है।

इस संबंध में रेस्पोडेन्ट भारमल द्वारा बयान भी दिये गये है कि वादगत् भूमि पुख्ता बन्दोबस्त के वक्त अपीलांट/वादी के ही कब्जे काश्त में थी व पुख्ता सेटलमेंट होने से रह गई जिसे अपीलांट/वादी अपने नाम से दर्ज कराने का अधिकारी है। जबकि अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। वादगत् भूमि संवत् 2012 से 2018 की गिरदावरी में खानदानकर्ता के नाम दर्ज रही तो उक्त समस्त भूमि 258.15 बीघा भूमि पुख्ता सेटलमेंट दर्ज होनी चाहिए थी जिसमें सेटलमेंट विभाग को तत्समय ही सम्पूर्ण भूमि खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी जबकि उक्त भूमि में से 79.00 बीघा भूमि को आराजीराज दर्ज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरबीजे 1997 पेज 167 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया जिसमें अभिलिखित है कि:–

Settlement operation settlement and consolidation Authorities can not change the previous entries of record of right.

इसी प्रकार आरबीजे 1998 पेज 610 के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार भी अभिलिखित है किः–

Settlement during the settlement operation settlement authorities cannot change the revenue record until without orders of the competent court.

इसी प्रकार आरआरडी 1997 पेज 380 में भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक बड़े भाई के नाम दर्ज भूमि में छोटे भाई का नाम रह गया है तो जरिये वाद के वह अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है।

अतः वादगत् भूमि जो खानदानकर्ता रेस्पोडेन्ट के नाम अकेले 258. 15 बीघा भूमि संवत् 2012 से 2018 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही व पुख्ता सेटलमेंट सर्वे के दौरान 179.00 बीघा भूमि दर्ज हो गई व शेष भूमि अर्थात 79.00 बीघा भूमि जो संवत् 2014 से छोटे भाई अर्थात अपीलांट/वादी के नाम से दर्ज होने से रह गई जिस पर अपीलांट/वादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपने पक्ष में दावा डिक्री करवाने का अधिकारी है। अदालत मातहत ने इन तमाम तथ्यों पर कोई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे व वादगत् भूमि का खातेदार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट भारमल के नाम समरी संवत् 2012 में खसरा नम्बर 220 से 223 तथा 493 से 496 तक कुल भूमि 258 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रही है। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2024 ग्राम गौडू में भारमल पुत्र रामलाल के नाम खसरा नम्बर 469, 470, 471, 760, 1686, 1189, 1190, 1267 कुल 8 खसरों में 179 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज है। जो रिकार्ड में भारमल के नाम से दर्ज चली आ रही है। इससे साबित है कि सेटलमेंट के दौरान कोई भी भूमि दर्ज होने से शेष नहीं रही है। उन्होंने आगे बताया कि समरी में दर्ज रकबा कच्चे/खाम बीधा में है जबकि पुख्ता सेटलमेंट के दौरान दर्ज रकबा

पक्के बीघा में दर्ज किये गये है। इसप्रकार सेटलमेंट के दौरान रकबा कम दर्ज नहीं हुआ है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने आगे कथन किया कि शंकरलाल व उसके भाई भारमल एवं पतराम द्वारा दिनांक 08–06–1995 को वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादगत् भूमि दर्ज नहीं है। इस प्रकार अपीलांट/वादी को स्पष्ट जानकारी थी कि प्रश्नगत् भूमि उसके नाम दर्ज नहीं है। प्रश्नगत् भूमि के संबंध में शंकरलाल व पतराम द्वारा दिनांक 16–04–1985 को वाद प्रस्तुत कर गलत रूप से दर्ज गैर खातेदारी भूमि धोषित कराई गई जो रिकार्ड व कानून के विरूद्व होने के कारण राजस्व मण्डल, अजमेर ने निर्णय दिनांक 15–7–1991 को निरस्त की गई। इस प्रकार एक ही विषय वस्तु व समान पक्षकारों के मध्य पुनः वाद नहीं लाया जा सकता।

वर्तमान में भूमि आराजीराज दर्ज है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट भारमल द्वारा सहमति देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। पक्षकारों द्वारा मिलीभगत करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है व अपीलांट/वादी की अपील सारहीन होने से खारिज होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत होगा।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 15एएए (3ख) के तहत प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 57.10 बीघा, खसरा नम्बर 221 तादादी 28.15 बीघा, खसरा नम्बर 222 रकबा 23.10 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 11.10 बीघा, खसरा नम्बर 493 रकबा 57.10 बीघा, खसरा नम्बर 494 रकबा 34.10 बीघा, खसरा नम्बर 495 रकबा 11.10 बीघा, खसरा नम्बर 406 रकबा 34.10 बीघा कुल 258.15 जोकि भारमल के नाम दर्ज रही। उक्त भूमि

पुख्ता सेटलमेंट के दौरान 179 बीघा 1 बिस्वा भूमि रिकार्ड में दर्ज रही तथा शेष भूमि जोकि वादीगण के हिस्से में आई जो वर्तमान में खसरा नम्बर 352 जिसके चक नम्बर 17 जीएमआर में 81 बीघा पैमूद हुई का खातेदारी धोषणा की इस्तदुआ की गई।

(2) अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। जिसमें तनकी संख्या 1 आयाकि वादाधीन विवादित भूमि पुश्तैनी होते हुए भी पुख्ता सेटलमेंट में कम दर्ज हुई जो कब्जा काश्त होने से दर्ज कराने का अधिकारी है– इस संबधं में वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे वादगत् भूमि वादी शंकरलाल के पिता रामलाल के नाम होनी पाई जाती है। वादगत् भूमि के संबंध में पूर्व दायर वाद में दिनांक 16–04–1985 को निर्णय अनुसार गैर खातेदार धोषित किया गया था उक्त निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमरे द्वारा दिनांक 15–7–1991 को खारिज हो चुका है। इसप्रकार वादगत् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज नहीं रही है। ऐसी स्थिति में वादी तनकी साबित नहीं कर पाया है।

(3) यह कि तनकी संख्या 2 आया कि वादाधीन विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त उनके हिस्से अनुसार चला आ रहा है। उक्त तनकीयात् को साबित करने का भार वादीगण का था। इस संबंध में वादीगण द्वारा केवल मात्र मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा कोई राजस्व दस्तावेज व रिकार्ड अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकी वादी अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

(4) यह कि तनकी संख्या 3 आया कि वादाधीन विवादित भूमि पुश्तैनी होते हुए भी पुख्ता सेटलमेट में कम दर्ज हुई है जो कब्जा काश्त होने से दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त तनकीयात् को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस संबंध में वादगत् भूमि पुश्तैनी होना दस्तावेजी रिकार्ड से साबित नहीं है जो भूमि पुश्तैनी थी वह उनके नाम दर्ज है। वादगत् भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने से वादीगण का कब्जा पोषणीय नहीं मानते हुए उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होती है। इसी प्रकार तनकी संख्या 4 व 5 को साबित करने भी वादीगण असफल रहे है।

(5) प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वे वादगत् भूमि पर काबिज काश्त है या पुख्ता सेटलमेंट के दौरान भूमि कम दर्ज की गई हो। चूंकि वादगत् भूमि के संबंध में पूर्व में इसी भूमि बाबत् वादपत्र वादी शंकरलाल, पतराम पिसरान रामलाल द्वारा लाया गया था जो दिनांक 16–04–1985 को स्वीकार किया जाकर गैरखातेदार दर्ज किया गया था। उक्त आदेश को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15–07–1991 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में एक समान भूमि व एक ही विषय वस्तु व समान पक्षकारो द्वारा पुनः वाद नहीं लाया जा सकता।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपने विवेचन में माना है कि वादीगण वादगत् भूमि के टीनेन्ट होना नहीं पाये जाते है तथा ना ही पुख्ता सेटलमेंट से पूर्व या बाद में अथवा समरी में इनके नाम भूमि दर्ज रही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 भारमल द्वारा सहमति देने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर कब्जे के आधार पर धोषणा करवाना चाहते है। जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–07–2008 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर